(1)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ रीवा (म0प्र0)

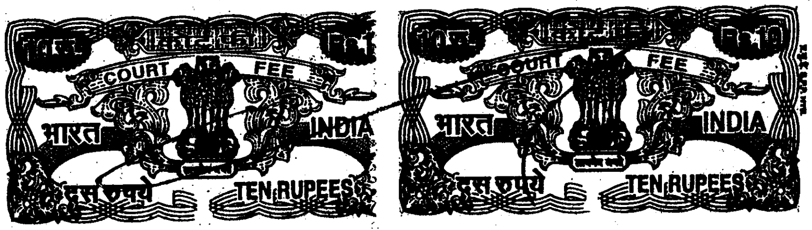

R. 3350-II/12

मोतीलाल पाण्डेय तनय स्व0 जगन्नाथ पाण्डेय, ग्राम धवैया, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म0प्र0) ....**निगरानीकर्ता**

बनाम

श्री प्रद्युम्न प्रसाद तिवारी तनय स्व0 इन्द्रभान तिवारी सा0 खुरहा, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म0प्र0) ....**गैरनिगरानीकर्ता**

निगरानी विरुद्ध अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 78/अ-12 में पारित आदेश दिनांक 14/08/2012

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी के आधार निम्न हैं :-

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रीवा द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 14/08/2012 विधि एवं प्रक्रिया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यह कि निगराकार ग्राम धवैया की भूमि नम्बरान 32, 33, 34, 35, 36 व 37 का भूमि स्वामी है तथा गैरनिगरानीकर्ता ग्राम खुरहा की भूमि नम्बरान 336, 382व 383 का भूमि स्वामी है, दोनों अलग-अलग ग्राम के होते हुये सरहदी काश्तकार है।

3- यह कि निगराकार की ग्राम धवैया की भूमियों का विधिवत सीमांकन प्र0क्र0 31/अ-12/0708 से किया जाकर सीमा चिन्ह पत्थर गड़ाये गये थे दिनांक 23/05/08 को सीमांकन की पुष्टि की गयी थी जिसमें किसी को भी आपत्ति नहीं थी जिसके आधार पर निगराकार

XXXIX(a)-BR(H)-11

(51)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3350-II/12 जिला रीवा

मोतीलाल पाण्डेय - प्रद्युम्न प्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-2-17.	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक अभि० श्री ... के लिए उपस्थित। उनके द्वारा लिखित कागजात दस्तावेज पेश किये तथा तर्क किया कि आवेदक लगभग 1½ वर्ष पश्चात भी कोई आवेदन पेश नहीं किया जिससे प्रकरण अबेट हो गया समझा। अनावेदक अभि० ने आवेदक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी पेश किया। आवेदक (मृत) की ओर से कोई उपस्थित नहीं और न ही वारिसान आवेदन पेश है। अतः प्रकरण अबेट होकर निरस्त किया जाता जाता है। अभिलेख वापस भेजे तथा पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	

[कृ. प. उ.